

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 16/12/2015

संख्या-3/विविध-01-20/2014 520 (3)/स्वा0, डा0 ध्रुव प्रसाद गुप्ता, सम्प्रति अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत सिविल सर्जन कार्यालय, जहानाबाद का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

2. सिविल सर्जन के योगदान करने/पदस्थापन होने के उपरान्त यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझा जायेगा।


ह0/-

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/विविध-01-20/2014 520 (3)/स्वा0, पटना, दिनांक 16/12/2015

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/जिलाधिकारी, जहानाबाद/क्षेत्रीय अपर निदेशक, मगध प्रमंडल गया/प्रभारी सिविल सर्जन, जहानाबाद/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 7, 8, 9, 10 एवं 12/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव